न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस
पंचायत निगरानी :: 26/2018 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
सुमेरसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी टेवाली खुर्द तहसील व जिला पाली		1. दलपतसिंह पुत्र रावतसिंह राजपूत निवासी टेवाली खूर्द तहसील पाली जिला पाली (राज.) 2. सरपंच ग्राम पंचायत टेवाली तहसील पाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 28/5/19

यह निगरानी प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टेवाली तहसील पाली द्वारा प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.04.2001, मिसल संख्या 62/01.11.2000 में पारित आदेश की पालना में जारी पट्टा संख्या 2128 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बार–बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकालतन एवं असालतन अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी सुमेरसिंह एवं अप्रार्थी संख्या 1 दलपतसिंह दोनों सगे भाई है तथा ग्राम टेवाली में उनके पिता रावतसिंह द्वारा अर्जित पुश्तैनी मकान स्थित हैं। जिसके दो अलग–अलग हिस्सों में दोनों भाई अलग–अलग निवासरत है तथा मकान के मध्य में दोनों भाईयों ने अपासी सहमती से दीवार निकाल रखी है। प्रार्थी का वादग्रस्त मकान पर कब्जा है एवं उसने अपने मकान पर बिजली का कनेक्शन एवं पानी का कनेक्शन लिया हुआ है। जिनका बिल प्रार्थी के नाम से ही आता है। बिजली के बिल की प्रति संलग्न पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करते हुए उनके पुश्तैनी मकान का बिना नियमों की पालना किए पट्टा बनवा लिया। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी विक्रय विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने बाबत आवेदन किया है, उसमें भूमि

जिला कलेक्टर, पाली

आधिपत्य के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है तथा आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 2, 4, 5, 6 व 7 रिक्त है। ग्राम पंचायत द्वारा जो मिसल कायम की गई है, उसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम आदेशिका दिनांक 01.11.2000 में भूमि को पुश्तैनी कब्जासुद मकान का पट्टा बनाने बाबत अंकन कर पत्रावली दर्ज करने का आदेश दिया गया तथा आदेशिका बिना किसी अग्रिम दिनांक मुकर्रर किए बंद कर दी एवं लम्बे समय पश्चात दिनांक 17.10.02 को उल्लेखित आदेशिका के अनुसार दो वार्डपंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया, लेकिन राजस्थान पंचायती राज नियमों के अनुसार तीन वार्डपंचो को मनोनीत किए जाने का आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं की गई है, द्वितीय आदेशिका 17.10.02 के पश्चात तृतीय आदेशिका दिनांक 05.02.2001 को अंकित की गई है। जो विधी सम्मत नहीं है। आदेशिका दिनांक 17.10.02 के द्वारा दो वार्ड पंचो को मकान का मौका निरीक्षण बाबत मनोनीत किया गया था, मौका रिपोर्ट में दिनांक एवं जैर निगरानी भूमि का माप व कीमत दर्ज नहीं है, न ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट सरपंच से तस्दीक की गई है। पत्रावली में अप्रार्थी दलपतसिंह के बयानों में भूमि को पुश्तैनी होना अंकित किया है, लेकिन अप्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों के बयान लिए गए है, उनमे किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है, न ही जिन व्यक्तियों के बयान दर्ज किए है उन पर दिनांक का अंकन है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के अनुसार पुश्तैनी मकान का पट्टा किसी एक वारिश के नाम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के पुश्तैनी मकान का पट्टा पिता के सभी वारिशान के नाम जारी किया जाने का आज्ञापक प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं कर नियमों की स्पष्टतया अवहेलना कर अप्रार्थी दलपतसिंह को फायदा पहुँचाने की नियत से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उसके पक्ष में पट्टा जारी किया गया जो न्यायोचित नहीं होने से जैर निगरानी विक्रय विलेख खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत टेवाली के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 दलपतसिंह जैर निगरानी विक्रय विलेख जारी करने बाबत जो आवेदन किया है, उसमें कॉलम संख्या 2, 4, 5, 6 व 7 रिक्त है, न ही आवेदन पर दिनांक अंकित है। जैसाकि ग्राम पंचायत की मिसल में तथा अप्रार्थी के बयानों में एवं ग्राम पंचायत के निर्णय प्रपत्र में भूमि को पुश्तैनी होना माना है तथा पुश्तैनी मकान का पट्टा प्रार्थी सुमेरसिंह, अप्रार्थी दलपतसिंह व इनके पिता अन्य वारिशान के नाम का सामलाती पट्टा जारी किया जाना चाहिए था। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा मात्र अप्रार्थी दलपतसिंह एक के नाम का ही पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी कर दिया है। जो विधी सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थी द्वारा तथा ग्राम पंचायत के रेकर्ड अनुसार जैर निगरानी मकान

जिला कलेक्टर, पाली

पर अप्रार्थी संख्या 1 के ही मालिकाना हक एवं कब्जा होना बताया गया है। लेकिन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी मकान के फोटोग्राफ में दो मकान अलग–अलग बने हुए है, जिस में से एक सुमेरसिंह तथा दूसरा दलपतसिह का होना प्रार्थी द्वारा उल्लेखित किया गया है। प्रार्थी द्वारा उसके नाम का मकान में लिए हुए विद्युत कनेक्शन का बिल भी पेश किय गया है। जिससे एक मकान में उसका कब्जा एवं मालिकाना हक होना स्पष्ट है। इस प्रकार अप्रार्थी के नाम जारी जैर निगरानी पट्टा भूमि में अप्रार्थी दलपतसिंह के मकान के साथ प्रार्थी का भी मकान सम्मिलित करते हुए पट्टा जारी कर दिया। जो विधी विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जो मिसल संख्या 62/01.11.2000 कायम की गई जिसमें आदेशिकाओं में अपनी मनमर्जी से द्वितीय आदेशिका में दिनांक 17.10.2002 दर्ज कर तृतीय आदेशिका 05.02.2001 में दर्ज किया जाना अंकित है। जो सही नहीं है। मिसल में अंकित आदेशिका दिनांक 17.10.2002 के अनुसार दो वार्डपंचो को ही मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया है। जबकि तीन वार्ड पंचो को मनोनीत किए जाने का नियमों में प्रावधान है। वार्डपंचो द्वारा जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें मात्र एक ही वार्डपंच के हस्ताक्षर है तथा मकान का नाप अंकित नहीं है, न ही तारीख का अंकन है। जो बयान ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए, उनमें एक अप्रार्थी एवं दो अन्य व्यक्तियों के शामील मिसल है, जिन पर बयान देने वालो के हस्ताक्षर नहीं है। आपती इश्तिहार जारी करने के पश्चात एक माह का समय गुजरने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा मात्र पन्द्रह दिवस गुजरने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश पारित कर दिए, जो विधी सम्मत नहीं है। आदेशिका संख्या 5 में तारीख का भी अंकन नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर जैर निगरानी विक्रय विलेख को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत टेवाली द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 दलपतसिंह के हक में जारी प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.04.2001, मिसल संख्या 62/01.11.2000 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2001 की पालना में जारी पट्टा संख्या 2128 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत टेवाली का रेकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/5/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली